



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-30092025-266561
CG-TL-E-30092025-266561

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4253]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2025/आश्विन 3, 1947

No. 4253]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 25 सितम्बर, 2025

का.आ. 4372(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में विशेष रेलवे परियोजना, अकोला - खंडवा के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितप्रद्ध कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (1) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है;

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप-विभागीय अधिकारी तथा भूमि अधिग्रहण अधिकारी नेपानगर, बुरहानपुर जिला को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी उप-विभागीय अधिकारी तथा भूमि अधिग्रहण अधिकारी नेपानगर, बुरहानपुर जिला आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अपसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच

करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है;

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकता है.

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् खंडवा और अकोला के बीच आमान परिवर्तन कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए किसी संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य – मध्य प्रदेश

जिला – बुरहानपुर

क्रम सं.	सर्वेक्षण सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहित की गई भूमि का क्षेत्र (वर्ग मीटर में)
तहसील : नेपानगर				गाँव : रत्नापुर पी.एच. सं.44
1	214/1	निजी	कृषि	700
2	216/1	निजी	कृषि	900
कुल				1600
तहसील : नेपानगर				गाँव : अमलाखुर्द पी.एच. सं.45
1	133/1/1	निजी	कृषि	600
कुल				600
तहसील : खकनार				गाँव : खकनार कलां पी.एच. सं.22
1	213	निजी	कृषि	800
2	218/1	निजी	कृषि	270
3	218/4	निजी	कृषि	812
कुल				1882

क्रम सं.	सर्वेक्षण सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहित की गई भूमि का क्षेत्र (वर्ग मीटर में)
तहसील : नेपानगर				गाँव : रंगई पी.एच. सं.28
1	388	निजी	कृषि	4000
2	390	निजी	कृषि	200
3	391	निजी	कृषि	7200
4	393	निजी	कृषि	1400
5	546/1	निजी	कृषि	800
कुल				13600
तहसील : नेपानगर				गाँव : तुकईथड पी.एच. सं.34
1	103/1/1/1	निजी	कृषि	1000
2	104/1	निजी	कृषि	1000
कुल				2000
सकल योग				19682

[फा. सं. W.Con.153/N/95/AK-AOT/20E/240925]

हेमंत कुमार भगोरिया, मुख्य इंजीनियर/मार्ग-V

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 25th September, 2025

S.O. 4372(E).—in exercise of the power conferred by sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereafter referred as in as the said Act), central government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the special railway project, Akola - Khandwa in Burhanpur district in the state of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub- section (1) of section 20D of the said act:

Every such objection shall be made to the competent authority , namely Sub- Divisional Officer & Land Acquisition officer Nepanagar, Burhanpur district in writing and shall be set out the grounds there of and the competent authority Sub- Divisional Officer & Land Acquisition officer Nepanagar, Burhanpur district shall give the objector an opportunity of being heard , either in person or by legal practitioner and may , after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary , by , order , either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

Schedule

Brief description of the land to be acquired for the special railway project with or without structure, namely, acquisition of land for gauge conversion work between Khandwa and Akola in the state of Madhya Pradesh.

State -Madhya Pradesh**District : Burhanpur**

S. N.	Survey No	Type of land	Nature of land	Area of Land acquir)in sq . M(.
Tehsil :Nepanagar Village -Ratnapur P.H.No .44				
1	214/1	Private	Agriculture	700
2	216/1	Private	Agriculture	900
Total				1600
Tehsil :Nepanagar Village -Amullakhurd P.H.No .45				
1	133/1/1	Private	Agriculture	600
Total				600
Tehsil : Khaknar Village - Khaknarkala P.H.No .22				
1	213	Private	Agriculture	800
2	218/1	Private	Agriculture	270
3	218/4	Private	Agriculture	812
Total				1882

S. N.	Survey No	Type of land	Nature of land	Area of Land acquird (in sq. M.)
Tehsil : Nepanagar Village -Rangai P.H.No .28				
1	388	Private	Agriculture	4000
2	390	Private	Agriculture	200
3	391	Private	Agriculture	7200
4	393	Private	Agriculture	1400

5	546/1	Private	Agriculture	800
Total				13600
Tehsil : Nepanagar Village –Tukaithad P.H.No .34				
1	103/1/1/1	Private	Agriculture	1000
2	104/1	Private	Agriculture	1000
Total				2000
Grant Total				19682

[F. No. W.Con.153/N/95/AK-AOT/20E/240925]

HEMANT KUMAR BHAGORIA,Chief Engineer/Con-V